

**विनियोग संख्या 64 - भारत का उच्चतम न्यायालय**  
**APPROPRIATION No. 64-SUPREME COURT OF INDIA**

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
प्रभारित-	Charged-				
मूल	Original	38,28,00	42,21,00	41,73,98	-47,02
पूरक	Supplementary	3,93,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				45,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. विनियोग में, कुल बचतें (47.02 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 393.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the appropriation, the overall savings (Rs.47.02 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary appropriation of Rs.393.00 lakhs obtained in March, 2006 and 1 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	3828.00	4176.00	4173.98	-2.02
पू.	S.	393.00			
पु.	R.	-45.00			

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत 3828.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 393.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 4221.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, यह ई-समिति की स्थापना को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से उनके द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण 47.02 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court - Establishment" - the original appropriation of Rs.3828.00 lakhs was augmented to Rs.4221.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.393.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.47.02 lakhs - due to non-utilisation by e-Committee owing to non-finalisation of its establishment.